न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 104/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2015/ 00001)

प्रभा पुत्री चन्दीया जाति बाल्मिकी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. हरीराम पुत्र मेघाराम जाति चमार साकिन करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. हनुमान पुत्र चन्दीया जाति बाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 25 भादरा ।
3. रिक्की पुत्र राजकुमार जाति बाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 25 भादरा ।
4. बिट्टू पुत्र राजकुमार जाति बाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 25 भादरा ।
5. छोटी बाई पत्नी श्यामा पुत्र प्रभाती जाति बाल्मिकी साकिन संतनगर बाल्मिकी मौहल्ला अबोहर पंजाब।
6. मोहनलाल पुत्र चरसिया जाति बाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 16 भादरा।
7. विजय कुमार पुत्र चरसिया जाति बाल्मिकी साकिन भादरा हाल सिविल अस्पताल के पास, फतेहबाद हरियाणा।
8. कृष्णा पत्नी जगदीश जाति बाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 16 भादरा।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री गगन मोदी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री धीरेन्द्र सिह भदौरिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4

निर्णय **दिनांकः 12.08.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर अपील संख्या 6/2013 के निर्णय दिनांक 20.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट प्रभा ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर नोहर में चक 6 बी एच डी तहसीलदार भादरा द्वारा स्वीकृत इंतकाल सं. 135 दिनांक 26.04.1994 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर उक्त इंतकाल को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.07.2015 द्वारा अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

दिनांक 20.07.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 26.04.1994 को खारिज करने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5, 6, 7, 8 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि चक नं. 6 बी.एच.डी. तहसील भादरा मे पूर्व खाता संख्या 10 मे चन्दीया व चरसिया पुत्रगण नन्दीया कौम चुहड़ा के नाम मु. नं. 35 के किला नं. 14, 17, 18, 23, 24 मु. नं. 49 के किला नं. 3 व 4 की कुल 7 बीधा (6 बीधा 16 बिस्वा मुमकिन व 4 बिस्वा खाला) कृषि भूमि दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता चन्दीया का देहान्त हो चुका है जिसके अपीलान्ट के अलावा अन्य वारिसान हनुमान, छोटी बाई, लाली, राज कुमार हुए जिसमे से लाली व राजकुमार फौत हो चुके है। राजकुमार की संतान रिक्की व बिट्टू है। चरसिया के तीन पुत्र मोहनलाल, विजय कुमार एवं जगदीश है। जगदीश फौत हो चुका है जिसकी वारिस उसकी पत्नी कृष्णा मौजूद है जबकि चरसिया की पत्नी द्रोपती का देहान्त हो चुका है। अदालत मातहत तहसीलदार भादरा ने बिना जांच किये हुए राजकुमार व हनुमान को ही वारिस मानते हए विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण राजकुमार व हनुमान के नाम से तस्दीक कर दिया। अपीलान्ट प्रभा भी चन्दीया की पुत्री है और हिन्दू उत्तराधिकारिणी है उनका बराबर–बराबर हक हिस्सा बनता है। तहसीलदार भादरा ने नामान्तरकरण संख्या 135 के खाना नं. 14 मे विरासतन नामान्तरकरण नगर पालिका के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किया है जबकि नगर पालिका को वारिस प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार ही नही है। साथ ही अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर ने महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज करते हुए एवं गुणावगुण अर्थात मेरिट पर अपीलान्ट का मामला मजबूत होते हुए भी मियाद के बिन्दु पर अपील को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खारिज कर दिया। जहा मामला गुणावगुण में मजबूत होता हो तो मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है । माननीय उच्चतम न्यायालय के इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय है कि जहा गुणावगुण पर मामला मजबूत हो तो मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है। अपीलान्ट अनपढ ग्रामीण औरत है उसे कानूनी पेचीदगियो का कोई ज्ञान नही है वह दिनांक 23.02.2013 को अपने ससुराल से भादरा पीहर आई थी तब अपीलान्ट को राजकुमार पुत्र भानीराम से पता चला कि राजकुमार व हनुमान ने अपने नाम से नामान्तरकरण होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 1 हरीराम को विक्रय कर दी है और वह मौके पर प्लॉट काट कर उक्त भूमि को विक्रय कर रहा है। तहसीलदार भादरा ने अपीलान्ट को कोई सबूत पेश करने का एंव सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर नही कर अपना निर्णय पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 26.04.1994 तहसीलदार भादरा खारिज किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1998 पृष्ठ 319 (HIGH COURT) URBAN IMPROVEMENT TRUSR V/S POONAM CHAND, RRD 2017 पृष्ठ 382, RRD 1994 पृष्ठ 606, 2022 (2) RRT 2017 1137, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि इस प्रकरण में मियाद प्रमुख विषय है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में इंतकाल सं. 135 दिनांक 26.04.1994 के विरूद्व 21 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की। अपीलान्ट ने इस संबध में एक दावा उपखण्ड अधिकारी भादरा में पेश किया जो खरिज हो गया। अपीलान्ट को वर्ष 1994 से सारी जानकारी थी, उन्होने दफा 5 के प्रार्थना पत्र में झूठे कथन अंकित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

6. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट सं. 4 के अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील मियाद पर खारिज की गई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। उन्होने बहस मे आगे कथन किया कि उक्त भूमि का 90 बी में रूपान्तरण हो चुका है, अब कृषि भूमि नही रही है वह आबादी भूमि हो गई है। इसका सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस का प्रतिउत्तर देते हुए कहा कि उक्त भूमि का कन्वर्जन (Conversion) करने का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.07.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 135 दिनांक 26.04.1994 खारिज किया जावे।

8. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 20.07.2015 व इंतकाल संख्या 135 दिनांक 26.04.1994 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2015 व इंतकाल संख्या 135 दिनांक 26.04.1994 को खारिज करने का निवेदन गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा केवल मियाद बिन्दु पर निर्णय पारित करते हुए अपील को मियाद बाहर होने से खारिज कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में मियाद के साथ गुणावगुण पर भी निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का अपीलाधीन निर्णय 20.07.2015 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर की अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2015 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर